पंचायत आम निर्वाचन, 2026
अतिमहत्वपूर्ण

राज्य निर्वाचन आयोग
बिहार
STATE ELECTION COMMISSION, BIHAR

सत्यमेव जयते

संख्या– प0नि0 30–13/2026...1505

प्रेषक,

मुकेश कुमार सिन्हा (भा.प्र.से.),
सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग।

सेवा में,

सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)
–सह–जिला पदाधिकारी, बिहार।

पटना, दिनांक– 9.4.26

विषय :– **पंचायत निर्वाचन, 2026–गठित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में वर्ष 2011 की जनसंख्या को दर्शाते हुए प्रपत्र–1 का प्रकाशन के संबंध में।**

महाशय,

उर्पयुक्त विषयक गठित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में वर्ष 2011 की जनगणना के प्रासंगिक आंकड़ों को प्रविष्टि करते हुए वर्ष **2015** में प्रपत्र–1 का प्रकाशन किया गया था जिसके आधार पर वर्ष **2016** के निर्वाचन हेतु त्रिस्तरीय पंचायत एवं ग्राम कचहरी के सभी पदों पर आरक्षण का निर्धारण किया गया था।

2. विदित हो कि नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों को शामिल करते हुए कतिपय नगर निकाय अधिसूचित किये गए हैं जिसके कारण पूर्व प्रकाशित क्षेत्रों एवं जनसंख्या में परिवर्त्तन हुए होगें। उक्त आलोक में पंचायत आम निर्वाचन, 2026 संपन्न कराये जाने हेतु आरक्षण निर्धारण के लिए **वर्ष 2011 की जनसंख्या** के प्रासंगिक आंकड़ों के साथ पुनः नये सिरे से प्रपत्र–1 का प्रकाशन कराये जाने का निर्णय आयोग स्तर पर लिया गया है। **प्रपत्र–1 की तैयारी अन्तर्गत सभी कार्य Digital माध्यम से किया जाएगा।**

3. उक्त क्रम में सर्वप्रथम प्रपत्र–1 तैयार किये जाने वाले सभी पदों यथा जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, ग्राम पंचायत मुखिया/ग्राम कचहरी सरपंच, ग्राम पंचायत सदस्य/ग्राम कचहरी पंच को 02 वर्गों में वर्गीकृत किया जाएगा।

(क) **पहले भाग जिसमें वर्ष 2015 में प्रकाशित प्रपत्र–1 के क्षेत्रों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है:–**

पहले भाग अन्तर्गत सभी पदों यथा जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, ग्राम पंचायत मुखिया/ग्राम कचहरी सरपंच, ग्राम पंचायत सदस्य/ग्राम कचहरी पंच के प्रपत्र–1 का प्रकाशन **पूर्व प्रकाशित प्रपत्र–1 के अनुसार किया जाएगा।** ग्राम पंचायत सदस्य/ग्राम कचहरी पंच के प्रपत्र–1 के प्रकाशन के क्रम में जनसंख्या के आंकड़ों, संबंधित राजस्व ग्राम एवं चौहद्दी की प्रविष्टि वर्ष 2015 के प्रकाशित प्रपत्र–1 के समरूप किया जाएगा। ग्राम पंचायत मुखिया/ग्राम कचहरी सरपंच के प्रपत्र–1 की जनसंख्या एवं राजस्व ग्राम, संबंधित ग्राम पंचायत के ग्राम पंचायत सदस्य/ग्राम कचहरी पंच पद हेतु प्रविष्ट किये गए आंकडों के आधार पर स्वतः प्रदर्शित होगा। ठीक उसी प्रकार पंचायत समिति सदस्य पद का प्रपत्र–1 की जनसंख्या संबंधित ग्राम पंचायत के ग्राम पंचायत सदस्य/ग्राम कचहरी पंच पद हेतु

प्रविष्ट किये गए आंकड़ों के आधार पर स्वतः प्रदर्शित होगा एवं जिला परिषद सदस्य पद का प्रपत्र–1 की जनसंख्या संबद्ध सभी ग्राम पंचायतों के ग्राम पंचायत मुखिया/ग्राम कचहरी सरपंच पद के प्रपत्र–1 के कुल जनसंख्या के आधार पर स्वतः प्रदर्शित होगा।

ग्राम पंचायत मुखिया/ग्राम कचहरी सरपंच पद हेतु थाना संख्या एवं निर्वाचन क्षेत्र/प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का विस्तार अंकित जाएगा। ठीक उसी प्रकार पंचायत समिति सदस्य एवं जिला परिषद सदस्य पद हेतु निर्वाचन क्षेत्र/प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का नाम एवं विस्तार अंकित जाएगा एवं साक्ष्य स्वरूप वर्ष 2015 में प्रकाशित प्रपत्र–1 के आंकड़ों के पी.डी.एफ. की प्रति भी अपलोड की जाएगी।

(ख) दुसरा भाग जिसमें वर्ष 2015 में प्रकाशित प्रपत्र–1 के क्षेत्रों एवं जनसंख्या में परिवर्तन हुआ हैः–

दुसरे भाग अन्तर्गत सभी पदों यथा जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, ग्राम पंचायत मुखिया/ग्राम कचहरी सरपंच, ग्राम पंचायत सदस्य/ग्राम कचहरी पंच के प्रपत्र–1 का प्रकाशन निम्न प्रकार से किया जाएगा।

ग्राम पंचायत सदस्य/ग्राम कचहरी पंच पद हेतु प्रपत्र–1 के प्रकाशन के लिए अवशेष वार्ड एवं उनके जनसंख्या के आंकड़ों, संबंधित राजस्व ग्राम एवं चौहद्दी की प्रविष्टि वर्ष 2015 के प्रकाशित प्रपत्र–1 के अनुसार किया जाएगा साथ ही विलोपित वार्ड के विवरणी की प्रविष्टि अलग से की जाएगी जिससे यह स्पष्ट हो सके कि किस राजस्व ग्राम का कितना जनसंख्या नगर निकाय में शामिल किया गया है।

ग्राम पंचायत मुखिया/ग्राम कचहरी सरपंच के प्रपत्र–1 की जनसंख्या एवं राजस्व ग्राम, संबंधित ग्राम पंचायत के ग्राम पंचायत सदस्य/ग्राम कचहरी पंच पद हेतु प्रविष्ट किये गए आंकडों के आधार पर स्वतः प्रदर्शित होगा। ठीक उसी प्रकार पंचायत समिति सदस्य पद का प्रपत्र–1 की जनसंख्या संबंधित ग्राम पंचायत के ग्राम पंचायत सदस्य/ग्राम कचहरी पंच पद हेतु प्रविष्ट किये गए आंकड़ों के आधार पर स्वतः प्रदर्शित होगा एवं जिला परिषद सदस्य पद का प्रपत्र–1 की जनसंख्या संबद्ध सभी ग्राम पंचायतों के ग्राम पंचायत मुखिया/ग्राम कचहरी सरपंच पद के प्रपत्र–1 के कुल जनसंख्या के आधार पर स्वतः प्रदर्शित होगा।

ग्राम पंचायत मुखिया/ग्राम कचहरी सरपंच पद हेतु थाना संख्या एवं निर्वाचन क्षेत्र/प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का विस्तार अंकित जाएगा। पंचायत समिति सदस्य एवं जिला परिषद सदस्य पद हेतु निर्वाचन क्षेत्र/प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का नाम एवं विस्तार अंकित जाएगा एवं साक्ष्य स्वरूप वर्ष 2015 में प्रकाशित प्रपत्र–1 के आंकड़ों के पी.डी.एफ. की प्रति भी अपलोड की जाएगी।

4. प्रपत्र–1 का प्रकाशन एवं दावा/आपत्तिः–

उपर्युक्त रीति से तैयार की गई प्रारूप प्रपत्र–1 को इस पत्र के **कंडिका–09** में अंकित समय सारणी के अनुसार सर्वसाधारण की सूचना के लिए निम्न स्थानों/कार्यालयों में प्रकाशित किया जाएगा–

(I) **ग्राम पंचायत/ग्राम कचहरी एवं पंचायत समिति सदस्य पद के लिए**–ग्राम पंचायत कार्यालय तथा प्रखंड कार्यालय में।

(II) **जिला परिषद सदस्य पद के लिए**–प्रखंड कार्यालय, अनुमंडल कार्यालय एवं जिला पदाधिकारी कार्यालय में।

प्रपत्र–1 के प्रारूप प्रकाशन पर आपत्ति आमंत्रित करने की सुचना ग्राम पंचायत क्षेत्रों/हाट बाजार में डुगडुगी बजाकर भी किया जाएगा। इसके अतिरिक्त स्थानीय समाचार पत्र, सोशल मीडिया, जिला पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्रेस नोट, लोकल टी.वी. चैनल एवं प्रचार वाहनों के माध्यम से भी प्रचार–प्रसार कराया जाएगा। साथ ही इसे आयोग के वेबपेज के मीडिया कॉर्नर पर अनवार्य रूप से अपलोड कराया जाए।

(III) प्रारूप प्रकाशन की तिथि से **14 (चौदह) दिनों** के अन्दर आपत्ति प्राप्त की जाएगी एवं इसके बाद की आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

5. प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की जनसंख्या के आंकड़ों के संबंध में दावा/आपत्तियां **प्राधिकृत पदाधिकारी** के समक्ष दाखिल किये जाऐगें। जिन कार्यालयों में दावा/आपत्तियां प्राप्त की जानी है वहां किसी सुयोग्य कर्मचारी को तैनात किया जाएगा एवं आपत्तिकर्ता को **पावती रसीद** अवश्य दी जाए। दावा/आपत्तियां सिर्फ **जनसंख्या** के संबंध में ही प्राप्त की जाएगी। प्राप्त आपत्तियों का जांच एवं सम्यक रूप से विचार करने के पश्चात प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा संबंधित **जांच अभिलेख में कारण अंकित करते हुए आदेश पारित कर आपत्तियों का निष्पादन सुनिश्चित करेगें।**

6. **प्राप्त दावा/आपत्ति के जांच हेतु प्राधिकृत पदाधिकारीः–**

(I) **ग्राम पंचायत एवं पंचायत समिति सदस्य पद के लिए**–संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी

(II) **जिला परिषद सदस्य के लिए**–संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी।

(III) **ग्राम पंचायत एवं पंचायत समिति के मामले में अपीलीय प्राधिकार**–संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी

(IV) **जिला परिषद सदस्य के लिएः**–जिला पदाधिकारी अपीलीय प्राधिकार होगें। दावा/आपत्ति के मामले में अपीलीय प्राधिकार का निर्णय अंतिम होगा। अपील वादों के निष्पादन के पश्चात प्रपत्र–1 में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रवार जनसंख्या के आंकड़ों का नियमानुकूल अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।

07. **विदित हो कि प्रपत्र–1 के प्रकाशन का कार्य Digital माध्यम से किया जाना है। प्रपत्र–1 के आंकड़ों की प्रविष्टि आयोग के वेबसाईट पर किये जाने के पश्चात उसका प्रिंट आउट निकालकर जिला पदाधिकारी के सत्यापन के उपरांत ही प्रारूप प्रपत्र–1 का प्रकाशन निर्धारित तिथि को किया जाएगा। डी.आई.ओ. एवं आई.टी. मैनेजर प्रपत्र–1 के आंकड़ों की प्रविष्टि के क्रम में आने वाली तकनीकी कठिनाईयों को आयोग के समन्वय के साथ ससमय दूर करायेगें एवं निर्धारित अवधि में प्रपत्र–1 के आंकड़ों की प्रविष्टि कराया जाना उनकी व्यक्तिगत जबाबदेही होगी। प्रपत्र–1 के आंकड़ों की प्रविष्टि प्रखंड स्तर से कराया जाना है इस कारण प्रखंडों में कार्यरत संबंधित प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी एवं प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी उक्त कार्य में प्रखंड विकास पदाधिकारी को यथावश्यक सहयोग प्रदान करना सुनिश्चित करेंगें।**

Ч.

8. प्रारूप प्रकाशन के पूर्व आयोग द्वारा **BSWAN** के माध्यम से सभी संबंधित को प्रशिक्षण दी जाएगी जिसकी समय सारणी निम्नवत् है:-

तिथि एवं समय	प्रमंडल का नाम	प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले पदाधिकारी
13.04.2026 (11.00 बजे पूर्वाहन् से 01.00 बजे अपराहन् तक)	पटना	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी, आई. टी. से संबंधित जिला एवं प्रखंड के पदाधिकारी/कर्मी (आई.टी. मैनेजर एवं डी.आई. ओ. सहित)
13.04.2026 (3.00 बजे अपराहन् से 05.00 बजे अपराहन् तक)	तिरहुत	
16.04.2026 (11.00 बजे पूर्वाहन् से 01.00 बजे अपराहन् तक)	मगध एवं भागलपुर	
16.04.2026 (3.00 बजे अपराहन् से 05.00 बजे अपराहन् तक)	मुंगेर	
17.04.2026 (11.00 बजे पूर्वाहन् से 01.00 बजे अपराहन् तक)	पूर्णियाँ एवं कोशी	
17.04.2026 (3.00 बजे अपराहन् से 05.00 बजे अपराहन् तक)	दरभंगा एवं सारण	

09. प्रपत्र–1 के प्रकाशन की समय–सारणी निम्नवत् है:–

(क) वर्ष 2011 की जनगणना के आलोक में प्रपत्र–1 का प्रारूप प्रकाशन – 27.04.2026
(ख) आपतियाँ दाखिल किये जाने की अवधि– 27.04.2026 से 11.05.2026 तक
(ग) आपत्तियों का निष्पादन– 27.04.2026 से 14.05.2026 तक
(घ) अपील वादों का निष्पादनः– 18.05.2026 से 22.05.2026 तक
(ड़) प्रपत्र–1 का अंतिम प्रकाशनः– 25.05.2026
(ड़) प्रपत्र–1 के आंकड़ों का जिला गजट में प्रकाशन– 29.05.2026

अतएव निदेशानुसार अनुरोध है कि कार्य की महत्ता एवं संवेदनशीलता को देखते हुए उपर्युक्त समय–सारणी के अनुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित किया जाना **अपरिहार्य** होगा। जिला पदाधिकारी अपने पर्यवेक्षण, निदेशन एवं नियंत्रण में निर्धारित समय में कार्य पूर्ण करना सुनिश्चित करायेगें।

ज्ञातव्य हो कि प्रपत्र–1 की तैयारी का मूल उद्देश्य त्रिस्तरीय पंचायत एवं ग्राम कचहरी के सभी पदों पर **आरक्षण का निर्धारण किया जाना है।** बिहार पंचायत राज अधिनियम–2006 (यथासंशोधित) की धारा 13(1), 15(5), 38(1), 65(1) एवं 91(1) तथा बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली के नियम 9 से 14 में वर्णित प्रावधान के अनुसार दो क्रमिक निर्वाचन के पश्चात जिला पदाधिकारी द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग के निदेशन, नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में आरक्षण का आवंटन किया जाता है।

अतएव भारत के संविधान के अनुच्छेद 243K, बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 (यथासंशोधित) की धारा–123 एवं 125(2)–सहपठित बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 (यथासंशोधित) के नियम 29 एवं 116 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए **त्रुटिरहित प्रपत्र–1 का प्रकाशन के लिए संबंधित प्रखंड के उपसमाहर्त्ता स्तर के पदाधिकारी को जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी नामित करने हेतु जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) को आयोग द्वारा प्राधिकृत**

किया जाता है एवं संबंधित जिला पंचायत राज पदाधिकारी को नोडल पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है, जो जिला पदाधिकारी के सतत् पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण में कार्य करेगें।

प्रपत्र–1 के प्रकाशन का अनुश्रवण के लिए आयोग स्तर पर श्री शंभु कुमार, संयुक्त निर्वाचन आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग को नोडल पदाधिकारी के रूप में कार्य करने हेतु नामित किया जाता है, जो प्रतिदिन पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण करेगें तथा किसी भी प्रकार की त्रुटि/कठिनाई प्राप्त होने पर तुरंत आयोग के संज्ञान में लायेगें।

जिला स्तर पर प्रकाशित जिला गजट की प्रति विशेष दूत के माध्यम से दिनांक–01.06.2026 तक अनिवार्य रूप से आयोग को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

विश्वासभाजन

09/4/26

सचिव

ज्ञाप सं0–प0नि0 30–13/2026....1505 पटना दिनांक– 9.4.26

प्रतिलिपिः–सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि आयोग के दिशा–निर्देश का अनुपालन समय–सीमा के अन्तर्गत सुनिश्चित करने हेतु अपने स्तर से आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाए।

09/4/26

सचिव

ज्ञाप सं0–प0नि0 30–13/2026....1505 पटना दिनांक– 9.4.26

प्रतिलिपिः–सचिव, पंचायती राज विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

09/4/26

सचिव